



246

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल (केम्प सागर) ग्वालियर म0प्र0

आलोकचंद जैन पिता श्री हुकुमचंद जैन
निवासी ग्राम केवलारी तहसील पथरिया थाना पथरिया
जिला दमोह म0प्र0

24175-22

पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

विरुद्ध

- 1- भागचंद जैन पिता मौजी लाल जैन
- 2- गुलाबचंद जैन पिता मौजी लाल जैन
- 3- हुकुचंद जैन पिता मौजी लाल जैन
- 4- नेमीचंद जैन पिता मौजी लाल जैन
- 5- पदमचंद जैन पिता मौजी लाल जैन

सभी निवासी ग्राम केवलारी तहसील पथरिया थाना पथरिया

जिला दमोह म0प्र0

उत्तरदातागण / अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता

यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी पथरिया के अपील प्रकरण कं0 106अ/6 वर्ष 2015-16 भागचंद जैन विरुद्ध गुलाबचंद जैन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27-10-2016 से परिवेदित होकर विधि अनुसार निराकृत किये जाने बावत इस सम्मानीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत है।

पुनरीक्षणकर्ता अग्रलिखित अनुसार प्रार्थी है :-

- 1- यह कि पुनरीक्षणकर्ता की पारिवारिक पैत्रिक कृषि भूमि मौजा ग्राम केवलारी तहसील पथरिया जिला दमोह के अंतर्गत स्थित है। इस पैत्रिक पारिवारिक कृषि भूमि का शामिल शरीक खसरा खातों के सह खातेदारों की आपसी सहमति व राजीनामे के आधार पर संशोधन पंजी कमांक 15 आदेश दिनांक 20-7-2007 के माध्यम से कृषि भूमि के शामिल खातेदार गुलाबचंद, हुकुमचंद, भागचंद, पदमचंद व आलोकचंद के मध्य किया गया था।
- 2- यह कि सभी सह खातेदारों ने आपसी आधार पर मौके पर आपसी आधार

B.O.R.

NOV 2016

102
29.11.16
सागर (म. प्र.)
सागर तहसील, सागर तहसीला,
ग्वालियर (म. प्र.)

Handwritten signature

एच. के. चक्रवर्ती
सिफिल कोर्ट सागर (म. प्र.)
24/11/2016


25

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4175-एक/2016

जिला दमोह

आलोकचंद जैन विरुद्ध भागचन्द्र जैन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 106/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-10-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: center;"> (आर0क0 जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">2119</p>